पटना में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2020 का आपराधिक पुणरीक्षण सं.133

थाना कांड सं.-103 वर्ष-2010 थाना-मालसालामी जिला-पटना, से उत्पन्न

==

अरुणा देवी, पर्मेश्वर प्रसाद निवासी मुहल्ला-नखास मछुआ टोली, संपतचक, पी. एस.-मालसलामी, जिला-पटना (बिहार) की पत्नी।

.... याचिकाकर्ता/ओं

इसके विपरीत

1. बिहार राज्य

2. सत्य प्रकाश साहनी स्वर्गीय केश्वर साहनी के पुत्र मुहल्ला-नखास मछुआ टोली, संपतचक, पी. एस.-मालसलामी, जिला-पटना (बिहार) के निवासी हैं।

3. विकास कुमार @विक्की कुमार स्वर्गीय केशर साहनी के पुत्र मुहल्ला-नखास मछुआ टोली, संपतचक, पी. एस.-मालसलामी, जिला-पटना (बिहार) के निवासी हैं।

4. नीरज कुमार सत्य प्रकाश साहनी के पुत्र मुहल्ला-नखास मछुआ टोली, संपतचक, पी. एस.-मालसलामी, जिला-पटना (बिहार) के निवासी हैं।

5. मनोज कुमार राम सेवक साहनी के पुत्र मुहल्ला-नखास मछुआ टोली, संपतचक, पी. एस.-मालसलामी, जिला-पटना (बिहार) के निवासी हैं।

.... उत्तरदाता/गण

==

के साथ

2020 का आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 131

थाना कांड सं.-119 वर्ष-2002 थाना-नौबतपुर जिला-पटना, से उत्पन्न

==

1. ज्योति कुमारी, अभिषेक कुमार मिश्रा की पत्नी भाया श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्रा, स्वर्गीय किरण कुमारी सिन्हा और नवल किशोर की बेटी, निवासी-बन्नी, डाकघर-नगर, थाना-खैराह ओ. पी.-नगर, जिला-सारण (बिहार)-841442, वर्तमान में-दीप नगर, स्नेही टोला, थाना-नौबतपुर, जिला-पटना, 801109।
2. आभा कुमारी प्रवीण कुमार की पत्नी स्वर्गीय किरण कुमारी सिन्हा और नवल किशोर की बेटी, निवासी-घर संख्या 50, मोतीपुर, डाकघर और थाना-नौबतपुर, जिला-पटना।
3. निधि कुमारी सौरभ कुमार की पत्नी स्वर्गीय किरण कुमारी सिन्हा और नवल किशोर की बेटी, निवासी-चंदन गार्डन अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 101 ए, गोदावरी पैलेस के पीछे, सगुना मोड़, पटना, वर्तमान में दीप नगर, स्नेही टोला, थाना-नौबतपुर, जिला-पटना।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. श्री मिथिला प्रसाद सिंह के पुत्र नवल किशोर गाँव-महाराजगंज, थाना-नौबतपुर, जिला-पटना के निवासी हैं।

.... उत्तरदाता/गण

==

के साथ

2020 का आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 136

थाना कांड सं.-314 वर्ष 2000 थाना-मधूबनी टाउन जिला-मधूबनी, से उत्पन्न

==

रुही बेगम, गाँव-रैयम, थाना-भैरवस्थान, डाकघर-झांझरपुर, जिला-मधुबानी के निवासी मोजाहिद हुसैन की बेटी।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. मजहरुल बारी स्वर्गीय अब्दुल बारी के पुत्र निवासी गाँव-खाररा, थाना-मधुबानी, जिला-मधुबानी।
3. अमानुल्लाह स्वर्गीय मोहम्मद का बेटा। गांव-छतवान, थाना-केओटी, जिला-दरभंगा के उमैर निवासी।
4. शमीमा कमर अमानुल्लाह की पत्नी, निवासी गाँव-छतवान, पी. एस.-केओटी, जिला-दरभंगा

.... उत्तरदाता/गण

==

के साथ

2020 का आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 137

थाना कांड सं.-29 वर्ष-2009 थाना-नवीनगर जिला-औरंगाबाद, से उत्पन्न

==

चंदन कुमार सोनी @अजय सोनी, स्वर्गीय बिजय सोनी निवासी गाँव-नबीनगर, मस्जिद गली, थाना-नबीनगर, जिला-औरंगाबाद (बिहार) के पुत्र।

.... याचिकाकर्ता/ओं

इसके विपरीत

1. बिहार राज्य
2. सोनू सोनी गोपाल सोनी निवासी गाँव-नबीनगर मस्जिद गली, थाना-नबीनगर, जिला-औरंगाबाद (बिहार) का बेटा
3. अवधेश सोनी गोपाल सोनी का पुत्र निवासी गाँव-नबीनगर मस्जिद गली, थाना-नबीनगर, जिला-औरंगाबाद (बिहार)।
4. अजय शाह गोपाल सोनी निवासी गाँव-नबीनगर मस्जिद गली, पी. एस.नबीनगर, जिला-औरंगाबाद (बिहार) के पुत्र हैं।

..........उत्तरदाता/गण

==

के साथ

2020 का आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 138

थाना कांड सं.-119 वर्ष-2002 थाना-नौबतपुर जिला-पटना, से उत्पन्न

==

1. ज्योति कुमारी, अभिषेक कुमार मिश्रा की पत्नी भाया श्री रामेश्वर प्र. मिश्रा, स्वर्गीय किरण कुमारी सिन्हा और नवल किशोर की बेटी, निवासी-बन्नी, डाकघर-नगर, थाना-खैराह ओ. पी.-नगर, जिला-सारण (बिहार)-841442, वर्तमान में-दीप नगर, स्नेही टोला, थाना-नौबतपुर, जिला-पटना-801109

2. आभा कुमारी प्रवीण कुमार की पत्नी स्वर्गीय किरण कुमारी सिन्हा और नवल किशोर की बेटी, निवासी-घर संख्या 50, मोतीपुर, डाकघर और थाना-नौबतपुर, जिला-पटना

3. निधि कुमारी सौरभ कुमार की पत्नी स्वर्गीय किरण कुमारी सिन्हा और नवल किशोर की बेटी, निवासी-चंदन गार्डन अपार्टमेंट, फ्लैट सं.101ए, गोदावरी पैलेस के पीछे, सगुना मोड, पटना, वर्तमान में-दीप नगर, स्नेही टोला, पी. एस.-नौबतपुर, जिला-पटना। (मुखबिर स्वर्गीय किरण कुमारी सिन्हा की बेटियाँ)

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य

2. नवल किशोर श्री मिथिला प्रसाद सिंह का पुत्र गाँव-महाराजगंज, थाना-नौबतपुर, जिला-पटना

3. मिथिला प्रसाद सिंह स्वर्गीय महेंद्र सिंह के पुत्र गाँव महाराजगंज के निवासी थाना-नौबतपुर, जिला-पटना

4. श्रीमती. ओणम सिन्हा उर्फ बेबी, नवलकिशोर की पत्नी, निवासी गाँव महाराजगंज, थाना-नौबतपुर, जिला-पटना

................प्रतिवादी/गण

उपस्थितिः

(2020 का आपराधिक पुणरीक्षण सं.-133)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाताओं के लिए	:	श्री अजय कुमार

(2020 के आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 131 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री द्रोणाचार्य
उत्तरदाताओं के लिए	:	अनीता कुमारी सिंह

(2020 की आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 136 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री अरबिंद कुमार सिंह
उत्तरदाताओं के लिए	:	श्री अखिलेश्वर दयाल

(2020 के आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 137 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाताओं के लिए	:	श्री उदचयंद प्रसाद

(2020 के आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 138 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री द्रोणाचार्य

उत्तरदाताओं के लिए : श्री अतुल चंद्रा

==

संदर्भित वादेंः

- जोहर एवं अन्य बनाम मंगल प्रसाद एवं एक अन्य (ए आई आर 2008 एस सी 1165)
- राम फाल बनाम राज्य एवं अन्य, (2015 सी आर एल जे 3220 (एफ बी)

इन पुनरीक्षण आवेदनों में माननीय न्यायालय द्वारा एक कानूनी मुद्दे पर निर्णय लिया जा रहा था- क्या शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डब्ल्यू.ए.) की परिभाषा के भीतर "पीड़ित" के रूप मे माना जाना है? यदि ऐसा है, तो क्या याचिकाकर्तओं को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के प्रावधान के तहत या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के साथ पठित धारा 401 के तहत पुनरीक्षण आवेदन के तहत अपील दायर करनी चाहिए?

निर्णय "पीडित" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसे उस कार्य या चूक के कारणों से कोई नुकसान या चोट लगी है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया है। "पीडित" में वे कानूनी उत्तराधिकारी शामिल हैं जिन्हें पीड़ित को हुई चोट के कारण नुकसान होता है। जहाँ पीडित सदमा, आघात या अन्य अक्षमता के कारण अपील करने का विकल्प चुनने में असमर्थ है, वे लोग जो उसकी ओर से ऐसा करने की स्थिति में हैं- जैसे कि रिश्तेदार, पोष्य-बच्चे, अभिभावक, आदि, धारा 372 के प्रावधान के तहत अपील कर सकते हैं।

ए) 2020 के अप० पुनरीक्षण 133 में, सूचना देने वाले के पति पर आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने उनकी हत्या कर दी थी। सत्र अदालत ने आरोपी को बरी करने का आदेश दिया। इसलिए, उनके द्वारा संशोधन दायर किया गया था।

निर्णय- याचिकाकर्ता को इस तथ्य के कारण कथित घटना का शिकार माना जाएगा कि उसे अपने पति की चोट लगने पर मानसिक आघात, पीडा और चोट लगी थी। पुनरीक्षण बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि विवादित आदेश अपील योग्य है और सूचना देने वाला पीड़ित होने के नाते सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकती है।

बी) 2020 की अप० पुनरीक्षण 137 में, सूचना देने वाले ने भा०दं०सं० की धाराएँ 341, 323, 504 और 34 के तहत मामला दर्ज किया। विद्वत ए०सी०जे०एम० द्वारा मुकदमा चलाया गया जिसमें अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। सत्र न्यायालय के समक्ष अपील में, बरी करने के आदेश की पुष्टि की गई थी। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने तत्काल पुनरीक्षण आवेदन दायर किया।

निर्णय- पुनरीक्षण पोषणीय

सी) 2020 के अप० पुनरीक्षण 136 में मुखबिर ने आरोप लगाया कि उसकी शादी के सात वर्षों के भीतर, उसे उसके पति के परिवार द्वारा प्रताडित किया गया और अंततः उसे उसके वैवाहिक घर से बेदखल कर दिया गया। निचली अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। याचिकाकर्ता ने एक को तरजीह दी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने तत्काल पुनरीक्षण आवेदन दायर किया।

निर्णयः पुनरीक्षण पोषणीय

डी) 2020 के अप. पुनरीक्षण 131 में, सूचक ने आरोपी से शादी की। उसने आरोप लगाया कि एक बेटे की मृत्यु के बाद, उसके पति ने उसे प्रताड़ित किया और अंततः दूसरी शादी कर ली और दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा। अभियुक्त को निचली अदालत ने भा.दं.सं. की धारा 498ए के तहत

किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया था। मुकदमे के दौरान, शिकायतकर्ता की मृत्यु हो गई। अभियुक्त द्वारा सत्र न्यायालय में अपील दायर की गई थी। अपीलीय न्यायालय ने सजा के आदेश को संशोधित किया। सूचक की बेटियों ने पीड़ितों के रुप में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन दायर किया- पुनरीक्षण पोषणीय।

ई) 2020 के अप. पुनरीक्षण 138 में, सूचक के साथ उसके पति द्वारा क्रुरता का व्यवहार किया गया था, अंततः उसे उसके वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया था और पति ने दूसरी शादी कर ली थी। निचली अदालत ने आरोपी को बरी करने का आदेश दिया। अपील में, सत्र अदालत ने बरी करने के आदेश की पुष्टि की।

आयोजित- मृतक सूचक की बेटियों ने पीड़ितों ने पीड़ितों के रुप में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन दायर किया-पुनरीक्षण बनाए रखने योग्य।

पटना में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2020 का आपराधिक पुणरीक्षण सं.133

थाना कांड सं.-103 वर्ष-2010 थाना-मालसालामी जिला-पटना, से उत्पन्न

==

अरुणा देवी, पर्मेश्वर प्रसाद निवासी मुहल्ला-नखास मछुआ टोली, संपतचक, पी. एस.-मालसलामी, जिला-पटना (बिहार) की पत्नी।

.... याचिकाकर्ता/ओं

इसके विपरीत

1. बिहार राज्य

2. सत्य प्रकाश साहनी स्वर्गीय केश्वर साहनी के पुत्र मुहल्ला-नखास मछुआ टोली, संपतचक, पी. एस.-मालसलामी, जिला-पटना (बिहार) के निवासी हैं।

3. विकास कुमार @विक्की कुमार स्वर्गीय केशर साहनी के पुत्र मुहल्ला-नखास मछुआ टोली, संपतचक, पी. एस.-मालसलामी, जिला-पटना (बिहार) के निवासी हैं।

4. नीरज कुमार सत्य प्रकाश साहनी के पुत्र मुहल्ला-नखास मछुआ टोली, संपतचक, पी. एस.-मालसलामी, जिला-पटना (बिहार) के निवासी हैं।

5. मनोज कुमार राम सेवक साहनी के पुत्र मुहल्ला-नखास मछुआ टोली, संपतचक, पी. एस.-मालसलामी, जिला-पटना (बिहार) के निवासी हैं।

.... उत्तरदाता/गण

==

के साथ

2020 का आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 131

थाना कांड सं.-119 वर्ष-2002 थाना-नौबतपुर जिला-पटना, से उत्पन्न

==

1. ज्योति कुमारी, अभिषेक कुमार मिश्रा की पत्नी भाया श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्रा, स्वर्गीय किरण कुमारी सिन्हा और नवल किशोर की बेटी, निवासी-बन्नी, डाकघर-नगर, थाना-खैराह ओ. पी.-नगर, जिला-सारण (बिहार)-841442, वर्तमान में-दीप नगर, स्नेही टोला, थाना-नौबतपुर, जिला-पटना, 801109।

2. आभा कुमारी प्रवीण कुमार की पत्नी स्वर्गीय किरण कुमारी सिन्हा और नवल किशोर की बेटी, निवासी-घर संख्या 50, मोतीपुर, डाकघर और थाना-नौबतपुर, जिला-पटना।

3. निधि कुमारी सौरभ कुमार की पत्नी स्वर्गीय किरण कुमारी सिन्हा और नवल किशोर की बेटी, निवासी-चंदन गार्डन अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 101 ए, गोदावरी पैलेस के पीछे, सगुना मोड़, पटना, वर्तमान में दीप नगर, स्नेही टोला, थाना-नौबतपुर, जिला-पटना।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य

2. श्री मिथिला प्रसाद सिंह के पुत्र नवल किशोर गाँव-महाराजगंज, थाना-नौबतपुर, जिला-पटना के निवासी हैं।

.... उत्तरदाता/गण

==

के साथ

2020 का आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 136

थाना कांड सं.-314 वर्ष 2000 थाना-मधूबनी टाउन जिला-मधूबनी, से उत्पन्न

==

रुही बेगम, गाँव-रैयम, थाना-भैरवस्थान, डाकघर-झांझरपुर, जिला-मधुबानी के निवासी मोजाहिद हुसैन की बेटी।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. मजहरुल बारी स्वर्गीय अब्दुल बारी के पुत्र निवासी गाँव-खाररा, थाना-मधुबानी, जिला-मधुबानी।
3. अमानुल्लाह स्वर्गीय मोहम्मद का बेटा। गांव-छतवान, थाना-केओटी, जिला-दरभंगा के उमैर निवासी।
4. शमीमा कमर अमानुल्लाह की पत्नी, निवासी गाँव-छतवान, पी. एस.-केओटी, जिला-दरभंगा

.... उत्तरदाता/गण

==

के साथ

2020 का आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 137

थाना कांड सं.-29 वर्ष-2009 थाना-नवीनगर जिला-औरंगाबाद, से उत्पन्न

==

चंदन कुमार सोनी @अजय सोनी, स्वर्गीय बिजय सोनी निवासी गाँव-नबीनगर, मस्जिद गली, थाना-नबीनगर, जिला-औरंगाबाद (बिहार) के पुत्र।

.... याचिकाकर्ता/ओं

इसके विपरीत

1. बिहार राज्य
2. सोनू सोनी गोपाल सोनी निवासी गाँव-नबीनगर मस्जिद गली, थाना-नबीनगर, जिला-औरंगाबाद (बिहार) का बेटा
3. अवधेश सोनी गोपाल सोनी का पुत्र निवासी गाँव-नबीनगर मस्जिद गली, थाना-नबीनगर, जिला-औरंगाबाद (बिहार)।
4. अजय शाह गोपाल सोनी निवासी गाँव-नबीनगर मस्जिद गली, पी. एस.नबीनगर, जिला-औरंगाबाद (बिहार) के पुत्र हैं।

............उत्तरदाता/गण

==

के साथ

2020 का आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 138

थाना कांड सं.-119 वर्ष-2002 थाना-नौबतपुर जिला-पटना, से उत्पन्न

==

1. ज्योति कुमारी, अभिषेक कुमार मिश्रा की पत्नी भाया श्री रामेश्वर प्र. मिश्रा, स्वर्गीय किरण कुमारी सिन्हा और नवल किशोर की बेटी, निवासी-बन्नी, डाकघर-नगर, थाना-खैराह ओ. पी.-नगर, जिला-सारण (बिहार)-841442, वर्तमान में-दीप नगर, स्नेही टोला, थाना-नौबतपुर, जिला-पटना-801109

2. आभा कुमारी प्रवीण कुमार की पत्नी स्वर्गीय किरण कुमारी सिन्हा और नवल किशोर की बेटी, निवासी-घर संख्या 50, मोतीपुर, डाकघर और थाना-नौबतपुर, जिला-पटना

3. निधि कुमारी सौरभ कुमार की पत्नी स्वर्गीय किरण कुमारी सिन्हा और नवल किशोर की बेटी, निवासी-चंदन गार्डन अपार्टमेंट, फ्लैट सं.101 ए, गोदावरी पैलेस के पीछे, सगुना मोड, पटना, वर्तमान में-दीप नगर, स्नेही टोला, पी. एस.-नौबतपुर, जिला-पटना। (मुखबिर स्वर्गीय किरण कुमारी सिन्हा की बेटियाँ)

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य

2. नवल किशोर श्री मिथिला प्रसाद सिंह का पुत्र गाँव-महाराजगंज, थाना-नौबतपुर, जिला-पटना

3. मिथिला प्रसाद सिंह स्वर्गीय महेंद्र सिंह के पुत्र गाँव महाराजगंज के निवासी थाना-नौबतपुर, जिला-पटना

4. श्रीमती. ओणम सिन्हा उर्फ बेबी, नवलकिशोर की पत्नी, निवासी गाँव महाराजगंज, थाना-नौबतपुर, जिला-पटना

................प्रतिवादी/गण

उपस्थितिः

(2020 का आपराधिक पुणरीक्षण सं.-133)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाताओं के लिए	:	श्री अजय कुमार

(2020 के आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 131 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री द्रोणाचार्य
उत्तरदाताओं के लिए	:	अनीता कुमारी सिंह

(2020 की आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 136 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री अरबिंद कुमार सिंह
उत्तरदाताओं के लिए	:	श्री अखिलेश्वर दयाल

(2020 के आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 137 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री रंजीत कुमार
उत्तरदाताओं के लिए	:	श्री उदचयंद प्रसाद

(2020 के आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 138 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री द्रोणाचार्य

उत्तरदाताओं के लिए : श्री अतुल चंद्रा

===

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी

सी. ए. वी. निर्णय

तारीखः01-03-2024

1. पुनरीक्षण आवेदनों के इन समूह में शामिल कानूनी मुद्दा यह है कि क्या शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले को धारा 2 (डब्ल्यू ए) आ.दं.सं. की परिभाषा के भीतर "पीड़ित" के रूप में माना जाना चाहिए। यदि ऐसा है, तो क्या याचिकाकर्ताओं को अ०प्र०सं० की धारा 372 के प्रावधान के तहत अपील दायर करनी चाहिए या धारा 397 अ०प्र०सं०. के तहत पुनरीक्षण आवेदन, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के साथ पढ़ा जाता है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत बनाए रखा जा सकता है।

2. 11 सितंबर, 2019 के फैसले की वैधता, वैधता और औचित्य पर जोर देते हुए 2020 का आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 133 दायर किया गया है, जो 2011 के सत्र विचारण संख्या 1586 में पटना सिटी में 5 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 2010 के जी. आर. संख्या 1174 में 2011 के सत्र विचारण संख्या 1586 में पारित किया गया था, जो 2011 के विचारण संख्या 1586 के अनुरूप है, जिसके द्वारा और जिसके तहत, विद्वान न्यायाधीश ने 11 सितंबर, 2019 के अपने फैसले के माध्यम से, धारा 341,324,307,506,507 और आई.पी.सी. के तहत एक मामले में विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 को बरी करने का आदेश दिया।

3.याचिकाकर्ता सूचक है, जिसने एस. एच. ओ., मालसलामी, पटना सिटी पुलिस स्टेशन के समक्ष एक फर्दबयान प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि, अन्य बातों के साथ-साथ, उसके जेठ (उसके पति के बड़े भाई) ने अपने पति को अपनी घर की संपत्ति के विभाजन के लिए सौहार्दपूर्ण बातचीत के लिए बुलाया था।इस तरह की बातचीत के दौरान, विरोधी दलों ने उन्हें पकड़ लिया, और विरोधी पक्ष संख्या 3 और 5 ने चेवानिया और हसुआ को लाया। विरोधी पक्ष संख्या 5 ने चेवानिया की मदद से परमेश्वरी प्रसाद (वास्तविक शिकायतकर्ता के पति) पर वार किया। चेवानिया से उनके हाथ पर भी वार किया था।इस तरह के हमले के परिणामस्वरूप परमेश्वरी प्रसाद गिर गए।शोर-शराबा सुनकर स्थानीय लोग सूचक के साथ मौके पर पहुंचे।विरोधी दल भाग गए। सूचक के पति को अस्पताल ले जाया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।उनकी छाती की सर्जरी की गई और उनके घाव को 30 टांके लगाकर ठीक किया गया।

4. उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 2010 का मालसलामी थाना कांड संख्या 103 दर्ज किया और जांच पूरी होने पर विरोधी पक्षों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।

5. विरोधी पक्षों को मुकदमे का सामना करना पड़ा और मुकदमे के समापन पर, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। 11 सितंबर, 2019 के फैसले में विरोधी पक्षों को बरी करने का आदेश दर्ज किया गया।

6. आपराधिक पुनरीक्षण सं. 137/2020 दंड प्रक्रिया सं. की धारा 401 के साथ धारा 397 के तहत एक आवेदन है जिसे नबीनगर थाना कांड सं. 28/2009 (जी.आर.सं.488/2009 के सूचक चंदम कुमारी सोनी ने भा.दं.सं. की धारा 341,323,504 और 34 के तहत अपराध करने के लिए विपक्षी पक्ष सं.2 से 4 के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।

उक्त मामला जी.आर. मामला सं.488/2009 के रुप में पंजीकृत किया गया था और विद्वान अ.मु. न्या.द., सप्तम न्यायालय औरंगाबाद, ने मुकदमें के समापन पर विपक्षी पक्ष सं.2 से 4 के पक्ष में बरी करने का आदेश दर्ज किया। उक्त आदेश को वास्तविक शिकायतकर्ता ने आपराधिक अपील सं.72/2017 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचम न्यायालय औरंगाबाद, के समक्ष चुनौती ही थी। अपील खारिज कर दी गई और विद्वान अ.मु.दं. के आदेश की पुष्टि की गई। याचिकाकर्ता ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ तत्काल पुनरीक्षण दायर किया है, जिसमें विवादित आदेश की वैधानिकता, वैधता और योग्यता पर सवाल उठाया गया है।

7. आपराधिक पुनरीक्षण सं. 136/2020 मधुबनी थाना कांड सं. 314/200 के सूचक द्वारा दायर किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया या है कि उसका विवाह शिकायत दर्ज करने के तिथि से लगभग 7 वर्ष पूर्व मोहम्मडन रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ। विवाह के समय देन-मोहर की कीमत 16,786/-रु. तय की गई थी, शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों ने 75,000/-रु. के आभूषण, बर्तन, कपड़े, फर्नीचर और अन्य सामान दिए। विवाह के बाद याचिकाकर्ता अपने ससुराल चली गई और अपने पति और अन्य वैवाहिक संबंधियों के साथ खुशी-खुशी रहने लगा। हलांकि, कुछ दिनों के बाद, उसके पति के रिश्तेदारों ने उसे प्रताड़ित करना शुरु कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि वह बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने उसके मायके से पैसे भी मांगना शुरु कर दिया और उसके मायके से पैसे न लाने पर याचिकाकर्ता को शारीरिक और मानसिक यातनाएँ दी गईं और आखिरकार उसे उसके वैवाहिक घर से एक कपड़े में निकाल दिया गया।

8. जाँच पूरा होने पर, पुलिस ने आई. पी. सी. की धारा 323,498ए और 34 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। निचली अदालत ने विरोधी पक्षों के खिलाफ बरी करने का

आदेश दर्ज किया।याचिकाकर्ता ने 2013 की आपराधिक अपील संख्या 48 को प्राथमिकता दी जिसे भी 4 दिसंबर 2019 को खारिज कर दिया गया था।इसलिए, तत्काल पुणरीक्षण।

9. 2020 का आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 131 फिर से शिकायतकर्ता द्वारा दायर किया गया है इस आरोप पर कि उसकी शादी वर्ष 1981 में एक नवल किशोर के साथ की गई थी।उक्त विवाह में उन्होंने एक बेटे और तीन बेटियों को जन्म दिया।शिकायतकर्ता का आरोप है कि बेटे की मृत्यु के बाद उसके वैवाहिक संबंधों के साथ-साथ उसके पति द्वारा उसे मानसिक और शारीरिक यातना और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।शिकायतकर्ता के पति ने दूसरी महिला से शादी की है।शिकायतकर्ता के साथ विवाह के निर्वाह के दौरान, याचिकाकर्ता के पति की दूसरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और वह दिल्ली में दूसरी पत्नी के साथ रहता है।

10. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक शिकायत के आधार पर, पुलिस ने भा.दं.सं. की धारा 498ए, 494 और 341 के तहत नौबतपुर थाना कांड सं. 119/2002, दिनांक 1 जुलाई, 2002 को दर्ज किया। किरण कुमारी के पति को भा.दं.सं. की धारा 498ए के तहत किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उन्हें दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और साथ ही 10,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। विद्वान S.D.J.M, दानापुर, (पटना) द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2010 को 2002 के जी. आर. संख्या 1014 में, निर्णय और दोषसिद्धि और सजा के आदेश, के द्वारा दो साल की कठोर कारावास एवं 10,000/- रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

11. मामले की सुनवाई के दौरान उक्त किरण कुमारी (सूचिका) की मृत्यु हो गई। विरोधी पक्ष संख्या 2 ने विद्वान एस.डी.जे.एम., दानापुर(पटना) द्वारा 2002 के जी. आर. सं. 1014 में पारित फैसेले को दानापुर के प्रथम न्यायालय के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष 2010 की आपराधिक अपील सं. 178 दायर करके अपील की।

अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी/विरोधी पक्ष के खिलाफ उस अवधि के लिए कारावास लागू करके सजा के आदेश को पुणरीक्षण किया जो अपीलार्थी पहले ही भुगत चुका था और जुर्माने की राशि को भी घटाकर 5000/- रुपये कर दिया गया था। तत्काल पुणरीक्षण मूल सूचना देने वाली किरण कुमारी की बेटियों द्वारा दायर किया जाता है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, जो खुद को अपनी मां जिनकी मृत्यु हो चुकी है के साथ घटना के पीड़ितों के रूप में सुनिश्चित करती हैं,

12. 2020 का आपराधिक पुणरीक्षण सं. 138 ज्योति कुमारी और दो अन्य लोगों द्वारा दायर किया गया था, जो किरण कुमारी की मृतक होने के बाद से बेटियां हैं, जिन्होंने 2011 की आपराधिक अपील सं. 206 में दानापुर के प्रथम न्यायालय के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित 3 फरवरी, 2019 के फैसले और आदेश की वैधता और औचित्य को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा विद्वत अपील न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया, जिससे 2010 के टी. आर. सं. 846 के संबंध नौबतपुर थाना कांड सं.119/2002 से उत्पन्न एस.डी.जे.एम. में विद्वान S.D.J.M, दानापुर द्वारा पारित 19 जुलाई, 2010 के बरी करने के आदेश की पुष्टि हुई। भा.दं.सं. की धारा 498ए, 494 और 34 के तहत 2002 का नौबतपुर थाना कांड संख्या 119, दिनांक 1 जुलाई, 2002। भा.दं.सं. की धारा 498ए और 34 के तहत आरोपों के विरोधी पक्ष संख्या 3 और 4 के खिलाफ बरी करने का आदेश दर्ज करना और भा.दं.सं. की धारा 494 के तहत आरोपों के 2 से 4 तक प्रतिवादी के खिलाफ बरी करने का आदेश भी दर्ज करना।

13. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के तहत उपर्युक्त संशोधनों की स्थिरता में न्यायनिर्णय के लिए उपरोक्त कानूनी मुद्दा सामने आया क्योंकि तथ्य यह हैं कि यद्यपि बरी करने के आदेश के खिलाफ सूचना देने वाले को धारा 397 और 401 के तहत उच्च न्यायालय में जाना चाहिए था, लेकिन पीड़ित को ऐसा अधिकार उपलब्ध नहीं था यदि वह मामले का

सूचक नहीं था। धारा 401 की उपधारा(3) उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में बदलने के लिए अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से प्रतिबंधित करती है, इसके अलावा, पुनरीक्षण न्यायालय दोषमुक्ति का आदेश पारि तरकते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई त्रुटि को सुधार सकता है, लेकिन यह सामान्यतः दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकताहै जबतक कि कानून या प्रक्रिया में स्पष्ट त्रुटि न हुई हो या जब तक कि निष्कर्ष विकृत न हो या स्पष्ट रुप से अवैद्य न हो या न्याय का घोर हनन न हुआ हो। दोषमुक्ति के तहत पुनरीक्षण के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन ऐसी चुनौती केवल दोषमुक्ति के आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के निर्णय करने ओर ऐसे अवर न्यायालय की किसी कार्यवाही की निर्णयता सीमित अभिलिखित या पारित कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश और ऐसे कनिष्ठ न्यायालय की किसी कार्यवाही की नियमितता के बारे में।

14. **जौहर और अन्य बनाम मंगल प्रसाद और एक अन्य ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 1165** में प्रतिवेदित, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि बरी किए जाने के विरुद्ध पुनरीक्षण करने के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित नहीं है, लेकिन गंभीर रूप से प्रतिबंधित है।उच्च न्यायालय, अपनी पुनरीक्षण शक्ति में, सामान्य रूप से विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि कानून या प्रक्रिया में स्पष्ट त्रुटि न हो या जहां सार्वजनिक न्याय को स्पष्ट अवैधता में सुधार या न्याय की घोर विफलता की रोकथाम के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

15. इसके अलावा, पुणरीक्षण की शक्ति का प्रयोग सीमित है और संहिता की धारा 397 और 401 के प्रावधानों द्वारा अनुमत मापदंडों के भीतर सीमित है।यह अपील की

शक्ति की तुलना में अपने परिधि और दायरे में संकीर्ण है जो तथ्य और कानून दोनों की जांच की अनुमति देता है।

16. पुनरीक्षण न्यायालय की शक्ति की परिधि और दायरे को ध्यान में रखते हुए, मुझे इस मुद्दे पर चर्चा करने दें कि क्या उपरोक्त संशोधनों के याचिकाकर्ताओं को संहिता की धारा 2 (डब्ल्यू. ए.) की परिभाषा के भीतर "पीड़ित" माना जा सकता है। धारा 2 (डब्ल्यूए) इस प्रकार है;-

"पीड़ित" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या चूक के कारण कोई नुकसान या चोट लगी है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और "पीड़ित" अभिव्यक्ति में उसका अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी शामिल है।”

17. दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने ***रामफल बनाम राज्य एवं अन्य 2015 क्रि०ल०ज० 6220 (FB)*** ने पारित निर्णय में निर्णय किया है कि "पीड़ित" की परिभाषा के सामान्य पठन सादे पढ़ने से पता चलता है कि चोट और उसे झेलने वाले व्यक्ति, यानी "पीड़ित" के बीच एक संबंध होना चाहिए।नतीजतन, चोट (पीड़ित जो इससे पीड़ित है) निकटता होनी चाहिए; यह दूरस्थ नहीं हो सकती है।साथ ही, आई. पी. सी. की धारा 44 में परिभाषित "चोट" की प्रकृति को देखते हुए, निकटता की जांच तथ्य पर निर्भर होगी। न्यायालय स्थापित सिद्धांतों के आधार पर मुद्दों का आकलन करेंगे और मामले-दर-मामले के आधार पर तथ्यों को संतुलित करेंगे।इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि जहां पीड़ित सदमा, आघात या अन्य अक्षमता के कारण अपील करने का विकल्प चुनने में असमर्थ है, वे लोग जो उसकी ओर से ऐसा करने की स्थिति में हैं-जैसे कि रिश्तेदार, पालक बच्चे, अभिभावक, आदि, धारा 372 के प्रावधान के तहत अपील कर सकते हैं।

18. "पीड़ित" शब्द के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर, यह दो भागों को दर्शाता है।पहले भाग में "पीड़ित" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कार्य या लोप जिसके लिए अभियुक्त व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया है के कारणों से कोई नुकसान या चोट लगी है।परिभाषा बाद के चरण तक जाती है जिसमें कानूनी उत्तराधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें पीड़ित द्वारा की गई चोट के कारण नुकसान होता है।

19. 2020 के आपराधिक पुणरीक्षण सं. 131 और आप.पुणरीक्षण सं. 2020 की 138, मूल सूचना देने वाले की बेटियाँ, जिनके साथ उनके पति द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया गया था, अंततः अपने वैवाहिक घर से बाहर निकाल दी गईं और पति ने दूसरी शादी कर ली थी, स्पष्ट रूप से अपनी माँ को हुए नुकसान और चोट की शिकार हैं। इसलिए, वे पीड़ितों के रूप में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ बहुत अच्छी तरह से पुनरीक्षण दायर कर सकते हैं।इसी तरह, 2020 के आपराधिक पुणरीक्षण 136 और आप.पुणरीक्षण सं. 2020 का 137 में, याचिकाकर्ता पीड़ित हैं जो सीधे अ०प्र०स० की धारा 2 (डब्ल्यू. ए.) की परिभाषा के भीतर आते हैं।

20. 2020 के आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 133 के संबंध में, याचिकाकर्ता को इस तथ्य के कारण कथित घटना का शिकार माना जाएगा कि उसने अपने पति को विपरीत पक्षों के हाथों चोट लगने पर मानसिक आघात, पीड़ा और चोट का सामना किया था। हालांकि, आरोपी व्यक्तियों/विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 को भा.दं.सं के विभिन्न आरोपों के तहत बरी कर दिया गया था, जिसमें भा.दं.सं का 307 भी शामिल है, जो कि पटना सिटी के पंचम न्यायालय के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पूरी तरह से सत्र सुनवाई योग्य मामला है।

21. सूचक दं.प्र.सं की धारा 2 (डब्ल्यू. ए.) के अर्थ के भीतर "पीड़ित" है और ***2015 में इस न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय 2 पी. एल. जे. आर. 798 और 2015 आप. जे. 3220*** पर भरोसा करते हुए ऊपर दर्ज मेरी चर्चा को देखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि पीड़ित सूचक विरोधी पक्षों के खिलाफ पारित बरी करने के आदेश के खिलाफ दं.प्र.सं की धारा 372 के प्रावधान के तहत अपील दायर करने का हकदार है।

22. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय मानता है कि 2020 का आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 133 बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि विवादित आदेश अपील योग्य है और सूचक पीड़ित होने के नाते सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील कर सकता है। तदनुसार, तत्काल पुणरीक्षण का निपटारा कर दिया जाता है।

23. अन्य पुणरीक्षण इस न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य हैं क्योंकि सभी उक्त चार संशोधनों में, अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित बरी करने या सजा में पुणरीक्षण के निर्णय और आदेश को पीड़ित द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 397 और 401 के तहत चुनौती दी गई थी।

24. इसलिए कार्यालय को आपराधिक पुनरीक्षण सं.136/2020 आपराधिक पुनरीक्षण सं.37/2020 और आपराधिक पुनरीक्षण सं.138/2020 को योग्यता के आधार पर सुनवाई के लिए तय करने का निर्देश दिया जाता है। 2020 का आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 137 और 2020 का आपराधिक पुणरीक्षण संख्या 138।

(बिबेक चौधरी, न्यायमूर्ति)

उत्तम/- स्कम

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।